Online Applied ...

कार्यालय, अंचल अधिकारी अनगड़ा, राँची

विविध वाद सं0– 01/22

आदेश पत्रक

1.22 आवेदक श्री पुरन कुम्हार, पिता– सबरूआ कुम्हार, ग्राम– सिल्वे, थाना– टाटीसिल्वे, जिला– राँची के द्वारा मौजा– चतरा के खाता सं0– 182, कुल रकबा– 76 डी0 भूमि का पंजी II में बिकुआ कुम्हार, पिता– गंदौरी कुम्हार एवं पुरन कुम्हार, पिता– सबरूआ कुम्हार के नाम से कायम जमाबन्दी पंजी II के पृष्ठ सं0– 73 भाग सं0– II में से बिकुआ कुम्हार का नाम हटाने के लिए लिखित आवेदन दिया है। आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व–उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो अभिलेखबद्व है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ऑनलाईन पंजी II में बिकुआ कुम्हार, पिता– गंदौरी कुम्हार का नाम भी दर्ज है, जिसे आवेदक– पुरन कुम्हार के द्वारा हटाने हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया है। इन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में कायम जमाबन्दी का दोनो पक्षों को जमीन दावा/ प्राप्त करने संबंधी कागजात की माँग नोटिस निर्गत कर सूनवाई की जा सकती है। उक्त के आलोक में दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक– 31.1.22 को उपस्थापित करें।

[signature] 15/01/22

अंचल अधिकारी,
अनगड़ा, राँची।

31.1.22 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष के द्वारा वकालतन् हाजरी दिया गया है। प्रतिवादी अनुपस्थित। पीठासीन पदाधिकारी जिला कार्यालय में आवश्यक कार्य हेतु बैठक में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई हेतु पुनः दिनांक– 12.2.22 को निर्धारित की जाती है।

[signature]

अंचल अधिकारी,
अनगड़ा, राँची।

12.2.22	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष [illegible] जवाब के साथ कागजात दाखिल किया है। प्रतिवादी अनुपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। दाखिल कागजात के आलोक में संबंधित राजस्व–उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। दिनांक 15.2.22 को रखें। अंचल अधिकारी, अनगड़ा, राँची।
15.2.22	अभिलेख उपस्थापित। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा– चत्तरा, थाना सं0–31, खाता सं0– 182, प्लॉट सं0– 218 एवं अन्य कुल रकबा– 1.30 ए0 भूमि आर0 एस0 खतियान में सबुरवा कुम्हार, पिता– गंदौर कुम्हार जाति– कुम्हार साकिन सिल्वे के नाम से दर्ज है। मूल पंजी ॥ के भाग सं0– ॥ पृष्ठ सं0– 73 पर खाता सं0– 182, प्लॉट संख्या दर्ज नहीं है, कुल शेष रकबा– 0.76 ए0 भूमि पुरन कुम्हार, पिता– सबुरवा कुम्हार, बिरूआ कुम्हार, पिता– गन्दौरी कुम्हार के नाम पर दर्ज है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ऑनलाईन पंजी ॥ के भाग सं0– ॥ पृष्ठ सं0– 73 पर पर खाता सं0– 182, प्लॉट सं0– 218, 219 एवं 228 रकबा क्रमशः– 04 डी0, 17 डी0 एवं 55 डी0 कुल रकबा– 76 डी0 भूमि बिरूआ कुम्हार, पिता– गंदौरी कुम्हार एवं पुरन कुम्हार, पिता– सबुरआ कुम्हार के नाम पर दर्ज है। इन्होने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा कोई ठोस कागजात जैसे– नामान्तरण, शुद्धि–पत्र, किसी सक्षम न्यायालय का आदेश समर्पित नहीं करने के कारण मूल पंजी ॥ से भिन्न ऑनलाईन पंजी ॥ में रैयत के नाम में परिवर्त्तन /विलोपन करना उचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदक ने बिकुआ कुम्हार, पिता– गंदौरी कुम्हार रैयत का नाम हटाकर केवल पुरन कुम्हार, पिता– सबुरआ कुम्हार का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया है। आवेदक द्वारा दाखिल जवाब एवं कागजात तथा संबंधित राजस्व–उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल पंजी ॥ से बिकुआ कुम्हार, पिता– गंदौरी कुम्हार के नाम हटाने हेतु आवेदक द्वारा कोई ठोस कागजात यथा– नामान्तरण, शुद्धि–पत्र, किसी सक्षम न्यायालय का आदेश समर्पित नहीं करने के कारण मूल पंजी ॥ से भिन्न ऑनलाईन पंजी ॥ में रैयत के नाम में परिवर्त्तन /विलोपन करना वर्त्तमान में उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। आवेदक चाहे तो उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार सदर, राँची के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

15/02/22
अंचल अधिकारी
अनगड़ा राँची

15/02/22
अंचल अधिकारी
अनगड़ा राँची

Digitally signed by PUSHPAK RAJAK
Date: 2023.01.30 13:51:07 +05:30
Location: 192.168.1.35